

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न० 152/2023

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :- अहमद, सदीक सुमान खा, हनीफ खां, पुत्र जला, मूसा पुत्र हकीम खां, वली मोहम्मद, शेर मोहम्मद पुत्र कादर खां, बरगत पुत्र उस्मान रहन पूर्ण हिस्सा पी.एन.बी.शाखा पचपदरा रोशन समदे खां, हबीब पुत्र इब्राहिम, हकीमो पत्नी इब्राहिम कंवरू पत्नी निबे खां, मोहम्मद खां वगै०

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60,
66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970

उपरिस्थिति :-

1. प्रार्थी, तहसीलदार पचपदरा
2. विप्रार्थीगण, एकतरफा ।

आदेश

दिनांक :- 06.06.2023

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं के क्रम में प्रस्तुत कर ग्राम राजीवनगर, पटवार हल्का नवोडा बेरा, भूअ.निरीक्षक बडनावा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी रास्ता (जो भी लागू हो) प्रस्तावित रास्ता राजीव नगर के खसरा संख्या 1731, 1732, 1719, 1721, 1724, 1718, 1728, 1725, 1730, 1699 तक बारहमासी रास्ता चल रहा है ।



विवेक व्यास
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार.....

(2)

उक्त बारहमासी रास्ता ग्राम राजीवनगर, पटवार हल्का नवोडा बेरा, भूअ.निरीक्षक बडनावा के खसरा संख्या 1731, 1732, 1719, 1721, 1724, 1718, 1728, 1725, 1730, 1699 भूमि में चल रहा है को प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' व नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार ग्राम राजीव नगर के खसरा संख्या 1731, 1732, 1719, 1721, 1724, 1718, 1728, 1725, 1730, 1699 तक बारहमासी चल रहे रास्ता को सम्बन्धित खातेदारो की खातेदारी से परिशिष्ट "अ" में वर्णित विवरण अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण और से सहमती प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट, परिशिष्ट "अ" के तथा नक्शा परिशिष्ट "ब" सम्बन्धित खसरे की जमाबंदीया परिशिष्ट "स" है व समस्त विप्रार्थीगण की सहमती प्रार्थना पत्र। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पाटोदी व कार्यालय ग्राम पंचायत -नवोडा बेरा का प्रार्थना पत्र संलग्न है।



प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के निवेदन पर बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया। बहस पर मनन किया गया जिसमे पाया कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम जन इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है, जो आम जन से सम्बन्ध है। विप्रार्थीगण की सहमती होने से प्रार्थी का प्रार्थना को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

(3)

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को ग्राम राजीवनगर, पटवार हल्का नवोडा बेरा, भूअ.निरीक्षक बडनावा के खसरा नं. 1731, 1732, 1719, 1721, 1724, 1718, 1728, 1725, 1730, 1699 भूमि में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी रास्ता राजीव नगर के खसरा संख्या 1731, 1732, 1719, 1721, 1724, 1718, 1728, 1725, 1730, 1699 बारहमासी तक चल रहे को प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते हैं। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते मे ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतौनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।



(Signature)

(विवेक व्यास)
जिल्हाधिकारी
(S.D.O.) बालेश्वर

आदेश आज दिनांक 6.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Signature)

जिल्हाधिकारी
(S.D.O.) बालेश्वर